FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी

मुन्नालाल .... बनाम .... जगदीश वगै.

किस्म मुकदमा .... दावा .... नं. 45 .... सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
28.12.2022	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 28/12/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.06 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
45 / 2022	2022 / 114	27.04.2022	28.12.2022

उनवान प्रकरण

1. सुवालाल पुत्र नानूराम जाति जाट उम्र 60 साल जाति जाट निवासी ग्राम डैरावाली–कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

— वादी —

बनाम्

1. जगदीश पुत्र नानूराम उम्र 65 साल
2. झाबरमल उम्र 45 साल
3. नागरमल उम्र 43 साल
4. सागरमल उम्र 40 साल

   पुत्रगण बंशीधर पौत्रगण नानूराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम डैरावाली–कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

5. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
6. मैनेजर, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा श्रीमाधोपुर।
7. मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीमाधोपुर ।

— प्रतिवादीगण —

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित:–

श्री फूलचन्द सामोता, एड0 वादी अभि[illegible]

श्री झाबर सिंह भारणी, [illegible] 4 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसी[illegible] 5 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.06 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested

28/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

दावा बाबत ईस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1835 रकबा 0.5000 है0 एवं खसरा नम्बर 1836 रकबा 0.8400 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 1.3400 है0 तन ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या--1 ता 4 के नाम दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 4 आपस में एक ही परिवार से है एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 1835 रकबा 0.5000 है0 सम्पूर्ण भाई बंटवारा पारिवारिक सैटिलमेन्ट के अनुसार वादी के हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त में आया हुआ है एवं उक्त भूमि पर वादी अकेला काबिज काश्त चला आ रहा है एवं खसरा नम्बर 1836 रकबा 0.8400 है0 पर वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 4 दर्ज हिस्सानुसार बदस्तूर काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए वादी उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने को कोई अधिकार किसी किस्म का नही है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 20.02.2022 को इंकार हो गये एवं वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी जाने पर अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1835 रकबा 0.5000 है0 तन ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का अकेले वादी को अलग से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या–1 ता 4 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अकेले वादी के नाम अलग से दर्ज किये जाने एवं खसरा नम्बर 1836 रकबा 0.8400 है0 पर वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 4 के नाम दर्ज हिस्सानुसार बदस्तूर रखी जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.06 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

28/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। दावा वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश किया है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सख्ंया 1, 2 व 4 ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। जो पक्षकारान के द्वारा सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी में वादी सुवालाल व वादी गवाह में बनवारी के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा व इकबालिया जवाब दावा पेश कर दिये जाने से वकील वादी ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में बहस सुनी जाकर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार ग्राम ढ़ाणी डेरावाली की विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1835 रकबा 0.5000 है0 एवं खसरा नम्बर 1836 रकबा 0.8400 है0 की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें से उक्त खसरा नम्बर 1835 रकबा 0.5000 हैक्टर भूमि भाई बंटवारें में अकेले वादी के हिस्से में आना राजीनामा व इकबाली जवाब दावा से प्रकट होता है तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 1836 रकबा 0.84 हैक्टर भूमि भाई बंटवारें में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हिस्से में आना प्रकट होता है। उक्त भूमियों को पक्षकारान् भाई बंटवारें के हिसाब से अपने–अपने नाम दर्ज कराने हेतु पक्षकारान् प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में राजीनामा व इकबाली जवाब दावा भी पेश किया [illegible] है। जिससे भी वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। प्रस्तुत [illegible] से यह प्रतीत होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से [illegible] खातेदारी भूमियों का उनके मध्य हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.06 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भाई बंटवारा अनुसार उक्त भूमियों की खातेदारी अपने--अपने नाम दर्ज कराने हेतु खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा किये जाने हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1835 रकबा 0.5000 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर का अकेले वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का नाम हजफ किया जाता हैं तथा खसरा नम्बर 1836 रकबा 0.8400 हैक्टर की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हिस्सानुसार बदस्तुर रखी जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.06 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)